



DIN:20241275NJ000038033E

सार्वजनिक सूचना सं. 18/2024 दिनांक 24.12.2024

PUBLIC NOTICE NO. 18/2024 dated 24.12.2024

विषय: ICEGATE ई-भुगतान प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वैच्छिक भुगतान को सक्षम करने के संबंध में।
Subject: Enabling Voluntary Payment electronically on ICEGATE e-Payment Platform – reg.

व्यापार / हितधारकों और सभी संबंधितों का ध्यान सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र संख्या 27/2024-सीमा शुल्क दिनांक 23 दिसंबर, 2024 फाइल एफ.नं.450/54/2024-Cus.IV की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें आइसगेट ई-भुगतान प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वैच्छिक भुगतान की सुविधा सक्षम की गई है, शेष सेवाओं को डिजिटल बनाने और इसे कागज रहित बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, आइसगेट ई-भुगतान प्लेटफॉर्म को स्वैच्छिक स्व-आरंभिक भुगतान (एसआईपी) के इलेक्ट्रॉनिक संग्रह के साथ सक्षम किया गया है।

Attention of trade / stake holder and all concerned is invited to the drawn to the Circular No.27/2024-Customs issued by CBIC, vide file F.No.450/54/2024-Cus.IV dated 23th December, 2024 wherein facility of Voluntary Payment electronically on ICEGATE e-Payment Platform has be enabled in line with Government's commitment to digitize the remaining services and to make it paperless, ICEGATE e-Payment Platform has been enabled with electronic collection of Voluntary Self-Initiated Payments (SIP).

2. इस नई कार्यक्षमता की परिकल्पना मौजूदा टीआर-6 भुगतानों को बदलने के लिए की गई है जो वर्तमान में विभिन्न सीमा शुल्क स्टेशनों पर मैन्युअल रूप से किए जा रहे हैं। यह कार्यक्षमता उपयोगकर्ताओं को स्वैच्छिक भुगतान के लिए स्व-आरंभित चालान उत्पन्न करने और फिर सीमा शुल्क अधिकारियों की मंजूरी के बिना ICEGATE ई-भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम बनाएगी।

2. This new functionality has been envisaged to replace the existing TR-6 payments which are currently being done manually at various Customs Stations. This

functionality shall enable the users to generate a self-initiated challan for voluntary payments and then make payments through the ICEGATE e-payment platform without any further approval by officers of Customs.

3. ICEGATE पर स्वैच्छिक भुगतान सुविधा का उपयोग करते समय, उपयोगकर्ताओं को नीचे उल्लिखित पहलुओं पर जागरूक किया जा सकता है:

- a) स्वैच्छिक भुगतान मॉड्यूल पोस्ट-लॉगिन कार्यक्षमता के रूप में पहुंच योग्य होगा। इस सुविधा तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को ICEGATE पर पंजीकृत होना चाहिए;
- b) यह सुविधा उन भुगतानों के साथ सक्षम है जो मुख्य रूप से अतीत में किए गए आयात/निर्यात के लिए हैं। दूसरे शब्दों में, यह सुविधा आईसीईएस/ईसीसीएस/एसईजेड ऑनलाइन एसीईएस अनुप्रयोगों द्वारा उत्पन्न चालान का प्रतिस्थापन नहीं है। इसलिए, इसका उपयोग किसी भी जीवित खेप की निकासी के लिए सीमा शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए;
- c) विभिन्न उद्देश्य, जिनके लिए भुगतान किया जा सकता है, अनुलग्नक-ए में दिए गए हैं, जिसमें भुगतान करते समय सावधानी से चयन करने की सलाह दी गई है।
- d) भुगतान का प्रमाण आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं को प्रस्तुत किया जा सकता है।
- e) अधिकारी [https://foservices.icegate.gov.in/#/e payment/enquiry](https://foservices.icegate.gov.in/#/e%20payment/enquiry) का उपयोग करके भुगतान विवरण सत्यापित कर सकता है। सत्यापन के लिए विस्तृत सलाह डीजी (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

3. While using the voluntary payment Facility at ICEGATE, the users may be sensitized on the below-mentioned aspects:

- a. The Voluntary Payment module will be accessible as a post-login functionality. Users must be registered on ICEGATE to access this feature;
- b. This facility is enabled with payments which are primarily meant for imports/exports cleared in the past. In other words, the facility is not a replacement for challans generated by ICES/ECCS/SEZ online ACES applications. Therefore, it should not be used for payment of customs duties for clearance of any live consignments;
- c. The various purposes, for which the payment can be made are provided in Annexure-A wherein, it is advised to select the same carefully while making payment.
- d. The proof of payment may be submitted to the concerned field formations for taking further action,
- e. The officer may verify the payment details using <https://foservices.icegate.gov.in/#/epayment/enquiry>. Detailed advisory for verification will be made available by DG (Systems).

4.1 वर्तमान में, ICEGATE उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (केवल IEC धारकों और सीमा शुल्क दलालों के लिए उपलब्ध) से डेबिट के रूप में स्वैच्छिक भुगतान कर सकते हैं।

4.1 Currently, ICEGATE users can make voluntary payments as a debit from the Electronic Cash Ledger (only available for IEC holders and Customs Brokers).

4.2 यदि उपयोगकर्ता चालान-वार भुगतान शुरू करना चाहते हैं, तो ICEGATE प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता को प्लेटफॉर्म पर लेनदेन-वार भुगतान करने की भी अनुमति देता है, जिससे सिस्टम डिजाइन शुल्क भुगतान के लिए लेखांकन से पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से भुगतान को तुरंत रूट करने का ध्यान रखता है। स्वैच्छिक भुगतान स्वीकृति के लिए परीक्षण पूरा होने पर, वर्तमान में, ऐसे चालान-वार भुगतान के लिए निम्नलिखित मोड सक्षम हैं:

4.2 In case, users wish to initiate challan-wise payment, the ICEGATE platform also allows user to make transaction-wise payment on the platform, whereby the systems design takes care of routing the payment instantaneously through Electronic Cash Ledger before accounting for duty payment. On completion of testing for voluntary payment acceptance, at present, following modes are enabled for such challan-wise payments:

a. अधिकृत बैंक मोड के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के तहत नौ (9) बैंक

[(1) पंजाब नेशनल बैंक (PNB), (2) कोटक महिंद्रा बैंक (3) IDBI बैंक (4) कर्नाटक बैंक (5) केनरा बैंक (6) करूर वैश्य बैंक (KVB) (7) साउथ इंडियन बैंक (SIB) (8) फेडरल बैंक (9) इंडसइंड बैंक]

a. Nine (9) banks under internet banking through authorized bank mode

[(1) Punjab National Bank (PNB), (2) Kotak Mahindra Bank (3) IDBI Bank (4) Karnataka Bank (5) Canara Bank (6) Karur Vysya Bank (KVB) (7) South Indian Bank (SIB) (8) Federal Bank (9) Indusind Bank]

b. RBI के माध्यम से NEFT/RTGS

b. NEFT/ RTGS through RBI

c. भुगतान एग्रीगेटर मोड

c. Payment Aggregator mode

4.3 परीक्षण पूरा होने पर शेष बैंकों को भी शुरु किया जाएगा। अन्य सभी तरीकों में, उपयोगकर्ताओं के पास पहले से ही शेष अधिकृत तरीकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में राशि जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का उपयोग करके स्वैच्छिक भुगतान करने के लिए इसका उपयोग करने का विकल्प है।

4.3 Remaining banks shall be enabled as and when the testing is complete. In all other modes, users already have an option to deposit the amount in the Electronic Cash Ledger through remaining authorized modes and use the same for making voluntary payment using Electronic Cash Ledger.

5. चूंकि उपरोक्त सुविधा का उद्देश्य टीआर-6 चालान का उपयोग करके ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) भुगतान करने की वर्तमान प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करना है। इसलिए, सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 दिसंबर, 2024 के बाद मैनुअल टीआर-6 चालान के माध्यम से कोई भी भुगतान स्वीकार न करें, जब तक कि प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा इसे अनुमोदित न कर दिया जाए। अनुमोदन में भुगतान की मैनुअल विधि का सहारा लेने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना जाना आवश्यक है। फील्ड अधिकारी ICEGATE पोर्टल (<http://www.icegate.gov.in>) के सेवा अनुभाग में उपलब्ध 'भुगतान स्थिति - स्वैच्छिक भुगतान' विकल्प के माध्यम से स्वैच्छिक चालान देख सकते हैं।

5. Since the above facility is aimed at replacing the current procedure of making Over-The-Counter (OTC) payment using TR-6 Challan. Hence, all the officers are hereby directed not to accept any payments through manual TR-6 challan after 31st December, 2024 unless the same is approved by the concerned Pr. Commissioner/ Commissioner of Customs. The approval must clearly spell out the reasons for resorting to the manual method of payment. The field officers can view the voluntary challans through 'Payment Status - Voluntary Payment' option available in Service' section of ICEGATE portal (<http://www.icegate.gov.in>).

6. उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करने और उन्हें शामिल करने के लिए स्वैच्छिक/स्व-आरंभित भुगतान (एसआईपी) सुविधा पर एक उपयोगकर्ता मैनुअल ICEGATE प्लेटफॉर्म (<http://www.icegate.gov.in/guidelines> स्वैच्छिक-भुगतान) पर अपलोड किया गया है।

6. A user manual on the Voluntary/Self-Initiated Payment (SIP) facility to handhold and onboard the users has been uploaded on the ICEGATE platform (<http://www.icegate.gov.in/guidelines> voluntary-payment).

7. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई की सूचना अपर-आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को दी जानी चाहिए।

7. Any difficulty in the implementation of this Public Notice should be reported to the Additional Commissioner of Customs, Customs Commissionerate, Jaipur.

Signed by

Sugriva Meena

Date: 24-12-2024 18:20:30

(सुग्रीव मीना)

प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क

मेल सूची (सार्वजनिक सूचना संख्या. 18/ 2024 dated 24.12.2024)

1. मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली जोन, न्यू कस्टम हाउस, आईजीआई एयरपोर्ट के पास, नई दिल्ली-110037।
2. सहायक आयुक्त, कार्यालय अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय, तीसरी मंजिल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
4. उपायुक्त सीमा शुल्क, सिस्टम, सीमा शुल्क आयुक्तालय जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, मेसर्स द थार ड्राई पोर्ट, पाल-बाड़मेर रोड, गांव-पाल, जोधपुर-342008।
6. सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क, आईसीडी कौनकौर जयपुर, जोधपुर, कोटा, काठूवास (अलवर), आईसीडी राजसिको जयपुर, जोधपुर, आईसीडी टीडीपी जोधपुर, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर, जेजीएसई, डिग्गी हाउस, जयपुर, एफपीओ जयपुर।
7. सहायक/उपायुक्त, सीमा शुल्क संभाग, जोधपुर/बीकानेर/जैसलमेर/बाड़मेर/श्रीगंगानगर।
8. मानद महासचिव, राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राजस्थान चैंबर भवन, एम.आई. रोड, जयपुर।
9. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी), फ्लैट नंबर 302, कोरल कैसल, सुभाष मार्ग, नाज़ ड्राईक्लीनर के सामने, सी-स्कीम, जयपुर।
10. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्टर्स, बी-4, बेसमेंट, दामोदर पार्ले एलायंस, प्लॉट नंबर 16, डिग्गी हाउस रोड, जयपुर।
11. अध्यक्ष, राजस्थान कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन, एफएफ-3, तिरुपति ट्रेड सेंटर, 4 संसार चंद्र रोड, जयपुर।

12. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स, ए-1, शील मोहर प्लाजा, द्वितीय तल, तिलक मार्ग, उद्योग भवन के सामने, जयपुर।
13. महासचिव, मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भीलवाड़ा मेवाड़ चैंबर भवन, नागोरी गार्डन, भीलवाड़ा।
14. महाप्रबंधक, आरएसआईसी लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
15. महाप्रबंधक, जयपुर जेम स्टोन एक्सचेंज, 15, डिग्गी हाउस, जयपुर।
16. सचिव, जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एसएलपी/ओआई, बासनी फेज-I, रिलायंस कम्युनिकेशन के पास, जोधपुर-342005।
17. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

सहायक आयुक्त (तकनीकी)